राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : संस्था.–1 / 2024 / 1378-1430 दिनांक : 15/2/2024

परिपत्र

1. समस्त निदेशक, शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य, विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– शिक्षकों की सेवापुस्तिका में इन्द्राज के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों / महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षको की मूल सेवापुस्तिकाओं में वर्षवार अवकाश का लेखा जोखा विवरण अवकाश खाते के लिए निर्धारित पृष्ठों में एवं सम्बन्धित शिक्षक के सेवा सम्बन्धी समस्त आदेशों का इन्द्राज मूल सेवापुस्तिका के Service Events के लिए निर्धारित पृष्ठों में नही किया जाता है। इसके अतिरिक्त अवकाश स्वीकृत करने की तिथि, 15 दिवस के पूर्ण वैतनिक अवकाश के नकद भुगतान की कटौती पर सत्र एवं तिथि का उल्लेख नही किया जाता है। उक्त सभी प्रवृष्टियों का प्रमाणीकरण भी नही किया जाता है, जो होना आवश्यक है।

अतः मूल सेवापुस्तिका में समय–समय पर आवश्यकतानुसार प्रविष्टियां पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.–I / 2024 / 1431-33 दिनांक : 15/2/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, कुलपति महोदया / कुलसचिव / वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

उप कुलसचिव (संस्था.–I)